पूर्व यातायात की सुविधा तथा सम्बद्ध लोगों को वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध कराएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़): (क) से (ग) दिल्ली में मोटर-गाड़ियों से उत्पन्न प्रदूषण का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय ने उठाया था और न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार से अगले दो-तीन सालों के लिए सभी प्रकार के मोटर वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध के बारे में लिए गए निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया बताने के लिए कहा है। तथापि, दुपहिया और तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दुपहिया अथवा तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के किसी भी निर्णय को लोगों की परिवहन की आवश्यकता को देखते हुए सावधानीपूर्वक लागू किया जाना होगा।

Integrated development of Loktak Lake

4491. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have received a request from Government of Manipur regarding funding the proposal of Integrated Development of Loktak Lake; and

(b) if so, the amount of the project and the present position of the request?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) Yes, Sir.

(b) The out-lay of the project proposal was Rs. 108.93 crores. This was recommended by the Ministry of Environment and Forests and forwarded to the Inter Ministrial Empowered Committee (IMEC), for financial assistance under Special Problem Grants of the Tenth Finance Commission. Grants-in aid of Rs. 30.00 crores have been allocated to the Government of Manipur for development of Loktak Lake for the period 1996-2000.

Requirement of pollution clearance certificates

4492. DR. MOHAN BABU:
SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether industries are required to take pollution clearance certificates before setting up plants; and

(b) if so, how do they set-up plants that cause pollution, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) Yes, Sir. The polluting industries, in the first instance, are required to obtain consent to establish and thereafter consent to operate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act , 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 from the respective State Pollution Control Boards / Pollution Control Committees. The consent is granted subject to fulfillment of various conditions which are meant to keep the pollution under check. Pollution may be coused by the industries due to non-compliance of the stipulated conditions.

हिमाचल प्रदेश में वन अधिकारियों की स्रोत के अनुपात से अधिक कमाई

4493. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन फारेस्ट सर्विस (आई एफ एस) के हिमाचल प्रदेश में तैनात कुछ अधिकारियों द्वारा अनुपात से अधिक धन एवं सम्पदा अर्जित करने के संबंध में जांच कराने के लिए सरकार को कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़):